सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 396/17 **निर्णय दिनांकः 23.07.2018**

1. चेतराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26—06—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 26—06—2008 जिसके द्वारा अपीलांट् का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट ने आवंटन हेतु तमाम सबूत भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे । अधिनस्थ न्यायालय ने

अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र एकतरफा तौर पर खारिज कर दिय गया। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई ना ही उसकी विधिवत तामील करवाई गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत हैं।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। मियांद प्रार्थना पत्र में संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। अपीलांट की पत्रावली तलफ हो चुकी हैं अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—06—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09—10—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके बाद विडिंग कमेटी द्वारा अपीलांट की पत्रावली संख्या 816/2007 उनवान चेतराम पुत्र चूनाराम जाति जाट साकिन रणजीतपुरा निर्णय दिनांक 26—06—2008 को विनिष्ट कर दी गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 26—06—2008 को विनिष्ट की जा चुकी थी। जबकि अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 09—10—2017 को पेश की गई हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। इसीलिए अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 26—06—2008 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर